# न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S.**

**राजस्व वाद संख्या : 42/23 (वाद)**

**GCMS NO: 2023/139**

**अनवान**

1. श्री हिम्मतसिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी गेनावटीया, अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर।
2. श्री कालु सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी गेनावटीया, अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर।

............प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री गटुसिंह पिता भंवर सिंह राजपूत निवासी गेनावटीया, अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर।
2. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब कानोड जिला उदयपुर राज0।

............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कैलाशचन्द्र खारीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कैलाशचन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक:–21.09.2023**

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा अमरपुरा (जागीर), पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर), भू.अभि.नि. क्षेत्र लुणदा तहसील कानोड, जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 68 की आराजी नंबर 1269/41, 1270/41, 38 से 41, 49 से 52 कुल किता 10 रकबा 1.1100 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/10 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 हिम्मतसिंह के नाम पर और 1/10 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 कालुसिंह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है।
2. यह कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कुषि भूमि का 1/10 हिस्सा मूल वाद मे प्रतिवादी संख्या 2 प्रतापसिंह के नाम पर 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 [illegible]सिंह के नाम पर, 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 कुशालकुंवर 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 [illegible]सिह, 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 शंकरसिंह, 1/50 हिस्सा प्रतिवादी 7 [illegible] कुंवर 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 दुर्गाकुंवर 1/50, हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 [illegible] 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 चन्द्र कुंवर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। यह कि परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

113 की आराजी नंबर 28, 42 से 48, 53 से 57 कुल किता 13 रकबा 1.4700 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कृषि भूमि का 1/20 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 हिम्मतसिंह, 1/20 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 कालुसिंह, 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 गटुसिंह के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त कृषि भूमि में उपरोक्तानुसार अपने–अपने हिस्से अनुसार लगातार काबिज होकर काश्त कर रहें है एवं प्रार्थीगण के उपरोक्तानुसार अपने – अपने हिस्से कब्जे की भूमि में किसी अन्य विपक्षीगण का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है। प्रार्थीगण उपरोक्तनुसार अपने–अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। यह कि उपरोक्त वादग्रस्त संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि होकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के मध्य सामलाती खातेदारी चल रही है।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 गटुसिंह कुछ अन्य विपक्षीगणों को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला हम सलाह होकर वादग्रस्त कृषि भूमि में बिना कानुनी बंटवाडा कराये अपने हक हिस्से से अधिक भूमि को हडपने कि नियत से हम प्रार्थीगण को डरा धमकाकर अवैध रूप से रात दिन एक करते हुए धडल्ले से निमार्ण कार्य कर रहा है तथा मौके कि स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, जिसको रोकते हुए कहा गया कि जब तक बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक इस भूमि पर निर्माण मत कराओ जिस पर विपक्षी संख्या 1 मानने को तैयार नहीं तथा जबरन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया, जबरन नींव खोद कर एवं लोहे के सरिये से कॉलम खडे कर निर्माण कार्य कर रहा है, प्रार्थीगण द्वारा रोकने पर प्रार्थीगण के साथ धमकी देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए जिससे प्रार्थीगण द्वारा विवष होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि में शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने एवं कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, विपक्षीगण अपने हक हिस्से से अधिक की भूमि पर निमार्ण कार्य नहीं करें एवं मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में पक्षकारों के पूर्वाधिकारी के समय से ही आज से करीबन 70 साल पहले विवादित आराजीयात का विभाजन हो गया और सभी से सभी अपने हक हिस्से अनुसार भूमि पर कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग लगातार करते आ रहे हैं प्रार्थीगण के साथ ही विपक्षी गटुसिंह भी 1/5 वें हिस्से पर खातेदारी अधिकार सहित अधिपत्यधारी होकर काबिज है इसमें प्रार्थीगण के साथ अन्य किसी विपक्षी का कोई हक अधिकार, अधिपत्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:30 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थनग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति है लेकिन उक्त आराजीयात का आज से करीबन 70 साल पहने विभाजन हो गया था और प्रत्येक उनके हक हिस्से अनुसार काबिज होकर

लगातार काश्त करते आ रहे है लेकिन मात्र राजस्व अभिलेखों में उक्त जमीन सामलाती खातेदारी में दर्ज है। यह कि विपक्षी गटुसिंह अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है उसके द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जे की आराजीयात का ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र विपक्षी को परेशान करने की नीयत से मिथ्या कथन वर्णित किया है प्रार्थीगण द्वारा जिस जगह निर्माण कार्य का आरोप लगाया जा रहा है वहां दोनो के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन हो रखा है तथा पूर्व में हुए विभाजित हुई कृषि आराजीयात में से आराजी नंबर 53 से 57 में प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से में आई आराजी पर आवासी प्रयोजनार्थ पक्का मकान का निर्माण करवाया गया जिसके दक्षिण व पूर्व दिशा में विपक्षी गटुसिंह का हिस्सा है जिसमे भी कृषि औजार, कृषि उपज, दुधारू पशुओ के निवास आदि कृषि संवंधित कार्य हेतु केटल हाउस का निर्माण आज से करीब 60 वर्ष पूर्व करवाया गया जिसके पुराने निशानात अभी भी मौके पर मौजूद है प्रार्थीगण के पिता नारायणसिंह की मृत्यु के वाद उनके दोनो पुत्र प्रार्थी हिम्मतसिंह एवं कालुसिंह के बीच भी उनके हिस्से कब्जे में आयी आराजीयात का भी विभाजन हो चुका है जो आराजीयात प्रार्थीगण के हिस्से में आई उसमें से विपक्षी गटुसिंह के उतर व पश्चिम दिशा में स्थित पक्का मकान प्रार्थी कालुसिंह के हिस्से में आया तथा प्रार्थी हिम्मतसिंह द्वारा दुसरी जगह आये अपने हिस्से में भी पक्का आवासी मकान का निर्माण करा दिया गया है साथ ही विपक्षी के दादा रामसिंह के अन्य वारिसान लालसिंह, मानसिंह, भभूतसिंह जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या चार में कर रखा है के द्वारा भी अपने हिस्से की आराजी में आवासीय मकान का निर्माण काफी वर्षो पूर्व करवाया जाकर वो उन्हीं में निवास कर रहे है इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगणों बीच कई वर्षो पूर्व विभाजन होकर लाखो रूपये लगाये जा चुके है विपक्षी गटुसिंह द्वारा पूर्व में अपने पिता द्वारा आज से करीबन 60 वर्ष पूर्व निर्मित केटल हाउस जो कि जीर्ण–शिर्ण हो गया उसी की मरम्मत की जा रही है जो कि काश्ताकरी अधिनियम के अन्तर्गत कानून के अनुसार ही है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की वहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्या को दोहराया अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाव में अंकित तथ्यों को दोहराया हमने विद्वानों की वहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों विन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** [illegible] वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] पत्र मे विपक्षी द्वारा निमार्ण कार्य किये जाने से उसे पावंद [illegible] निवेदन [illegible]। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में पूर्व में बने हूए केटल हाउस को [illegible] बताया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी की सामलाती भूमि होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार है। विपक्षी द्वारा हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:30 IST
Reason: SelfAttested

नहीं जताई है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में अगर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य होता है तो इससे मात्र कानूनी पैचिदगीयॉ बढेगी जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण को क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्ट्या मामले उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **अपूरणीय क्षति** :– भूमि में सामलाती होने से उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन** :– प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में संयुक्त हिंदु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व मूल वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य सामलाती खातेदारी से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 द्वारा हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होकर निमार्ण कार्य किये जाने का कथन कहा गया है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नहीं कर पूर्व में बने केटल हाउस को मरम्मत किये जाने का कथन कहा गया है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी एवं अन्य सह खातेदार की सामलाती भूमि है जिससे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर अगर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य होता है तो इससे मात्र कानूनी पैचिदगीया ही बढेगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित की जा चुकि है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरपुरा (जागीर), पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर), भू.अभि. नि. क्षेत्र लुणदा तहसील कानोड, जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत 2078–81 की परिष्टि (क) की खाता संख्या नया 68 की आराजी नंबर 1269/41, 1270/41, 38 से 41, 49 से 52 कुल किता 10 रकवा 1.1100 हैक्टेयर व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 113 की आराजी नंबर 28, 42 से 48, 53 से 57 कुल किता 13 रकवा 1.4700 हैक्टेयर में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:30 IST
Reason: SelfAttested